निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 238)   पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–19/2020–2148/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 13] 2021]

fcgkj jkT; mPpÙkj f'k{kk ifj"kn ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021

fcgkj jkT; mPPkrj f'k{kk ifj"kn vf/kfu;e] 2018 ¼fcgkj vf/kfu;e 01] 2020½ esa la'kks/ku djus ds fy, vf/kfu;eA

iLrkouk A& केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना को बिहार राज्य में क्रियान्वित करने हेतु बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) अधिनियमित है। बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम 01, 2020) की धारा 6 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष पाँच वर्षो की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

चूकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य की उच्चत्तर शिक्षा के सम्यक् विकास में राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् की अहम भूमिका होगी। अतः राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के उपाध्यक्ष के पद पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया जाना राज्यहित में है।

इसलिए अब, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1- laf{kIr uke] foLrkj ,oa izkjEHkA&

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2020 से प्रवृत हुआ माना जायेगा।

2. **fcgkj vf/kfu;e 01] 2020 dh /kkjk 6 dk la'kks/ku** – बिहार अधिनियम 01, 2020 की धारा 6 की उप धारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपाध्यक्ष 5 वर्षों की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे एवं अधिकतम दो कालावधि के लिए नियुक्त होने के शर्त्त के साथ पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगें।"

3. **fujlu ,oa O;kofr** ।–

(1) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन–2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या– 02, 2021) का निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन–2) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या– 02, 2021) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–19/2020**&2149@yst**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत **fcgkj jkT; mPpÙkj f'k{kk ifj"kn ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 13] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 13, 2021]

THE BIHAR STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL (AMENDMENT) ACT, 2021

AN

ACT

To amend the The Bihar State Higher Education Council Act 2018 (Bihar Act 01, 2020)

Preamble- Bihar State Higher Education Council Act, 2018 (Bihar Act 01, 2020) have been enacted to implement Central Government Sponsored Rashtriya Uchttar Shiksha Abhiyan Scheme in the State of Bihar. In Sub Section(2) of Section-6 of the Bihar State Higher Education Council Act, 2018 (Bihar Act 01, 2020) it is mentioned that the appointment to the post of Vice Chairman shall be made by the State Government. The Vice Chairman shall hold his Office for a period of Five Years and Shall not be eligible for re-appointment.

Since Bihar State Higher Education Council will play very important role in proper development of higher education under New National education Policy. Hence it will be in the interest of State to make provision for re-appointment of qualified and experienced person to the post of Vice Chairman of State Higher Education Council in this Act.

Now therefore, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) This Act may be called the Bihar State Higher Education Council (Amendment) Act, 2021.

(2) it shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall deemed to have come into force on the 23rd September, 2020.

2. ***Amendment of Section 6 of Bihar Act 01, 2020.***— Sub section (2) of section 6 of The Bihar State Higher Education Council Act 2018 (Bihar Act 01, 2020) shall be substituted by the following :-

> " (2) The appointment to the post of Vice Chairman shall be made by the State Government. The Vice-Chairman shall hold his office for a period of five years and shall be eligible for reappointment subject to maximum of two terms."

3. ***Repeal and Savings***.—

(1) The Bihar State Higher Education Council (Amendment-2) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-02, 2021) in hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Bihar State Higher Education Council (Amendment -2) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-02, 2021) shall be deemed to have done or taken under the provisions of this Act.

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 238-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in